भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2727

जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस

†2727. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की तर्ज पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) शुरु करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का उपयोग केवल बैंकिंग कंपनियों द्वारा ऋण देने के लिए किया जाना है अथवा इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी अन्य संस्थाएं भी शामिल होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 17 अगस्त, 2023 को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का पायलट आरंभ किया। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न डेटा स्रोतों से ऋणदाताओं तक वित्तीय इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल जानकारी की निर्बाध पहुंच और प्रवाह की सुविधा प्रदान करके बाधा रहित ऋण के वितरण को सक्षम बनाता है। ये डेटा स्रोत किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पशु प्रबंधन, एमएसएमई (असुरक्षित), आवास, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, माइक्रो बिजनेस, वाहन, डिजिटल गोल्ड, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी के रखरखाव संबंधी ऋण सहित बारह ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

दिनांक 27.02.2026 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों, निजी क्षेत्र के 16 बैंकों, 3 लघु वित्त बैंकों, 32 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), 1 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित 100 ऋणदाताओं को प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।

*****